बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0 :– 3/अ0प्र0–1–61/24 4724 /पटना, दिनांक :– 29.4.25

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल झंझारपुर के अधीन मधेपुर प्रखंड में शीर्ष PMGSY-I अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में स्वीकृत निर्माणाधीन पुल Construction of RCC Bridge in Bheja Koshi Bandh To Mahpatiaya Road at Ch. 2.1 पैकेज सं0–BR21R699 का दिनांक 26.06.2024 को एक गर्डर नदी में गिर जाने जबकि बाकि के दो गर्डर Sag कर जाने के संबंध में अधीक्षण अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अपने दायित्वों के निर्वहण में लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों पर विभागीय पत्रांक 2045 दिनांक 10.07.2024 द्वारा श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर से स्पष्टीकरण प्राप्त की गई।

2. इस बीच निर्माणाधीन पुल में Shuttering एवं Centring गिरने के कारण पुल की संरचना में हुई क्षति की अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मधुबनी की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय तकनीकी जॉच समिति द्वारा दिनांक 29.06.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा जॉचोपरान्त इस दुर्घटना के लिए संवेदक द्वारा निदेशों की अवहेलना करने एवं उनकी स्वेच्छाचारिता को दोषी माना गया। साथ ही संवेदक द्वारा किये जा रहे स्वेच्छाचारिता एवं पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना से वरीय पदाधिकारियों को ससमय अवगत कराने में विफल रहने के कारण संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल झंझारपुर, सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल मधेपुर एवं कनीय अभियंता, कार्य प्रशाखा मधेपुर की जिम्मेदारी निर्धारित करने का निष्कर्ष अंकित किया गया।

3. जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि पुल निर्माण कार्य से संबंधित अभियंताओं ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया है। संवेदक की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना तथा Technical Specification and Mandate के अनुसार कार्य कराना उनकी मौलिक जिम्मेदारी थी जिसका निर्वहन करने में उनसे चुक हुई। उक्त के आलोक में श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया।

4. श्री रामाशीष पासवान दिनांक 30.11.2024 को सेवानिवृत हो चुके है।

5. श्री पासवान के विरूद्ध अपने दायित्वों के निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं करने, अपने कार्यों में लापरवाही बरतने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3(1) का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यवाही में श्री अभय झा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री प्रशांक कुमार सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

7. श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल झंझारपुर सम्प्रति सेवानिवृत से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थिति होंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Kumar 25/4/25

(संजय कुमार)

अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—61/24 /पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ श्री अभय झा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना—सह—संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0 2178 दिनांक 28.02.2017 के आलोक में श्री रामाशीष पासवान, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कर निर्धारित अवधि में जॉच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0 :— यथोक्त।

SKumar 25/4/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—61/24 /पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ श्री प्रशांक कुमार सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता—निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार —सह—प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री रामाशीष पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल झंझारपुर सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता— प्रेमा सदन, न्यू महावीर कॉलोनी, बेउर (बेतौरा मोड़, नाला के पास), डाकघर—बेउर अनिसाबाद, थाना—बेउर, जिला—पटना—800002, मो0 नं0—9835465355 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :— यथोक्त।

SKumar 25/4/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—61/24 4724 /पटना, दिनांक :— 29.4.25

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, ~~बिहार~~, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SKumar 25/4/25
अवर सचिव